राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–एफ. 3(146)न.वि.वि./3/2011 दिनांकः– 21 SEP 2011

आदेश

राज्य सरकार जन सुरक्षा एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45, 282 व 337 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 104–ए, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 90 व जोधपुर विकास प्राधिकरण की धारा 85 सपठित राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 व राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए नगरीय क्षेत्रों में स्थापित/स्थापित किए जाने वाले गैस गोदामो को स्थानान्तरित करने/भूमि आवंटन के संबंध में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान करती है :–

(1) नगर पालिका सीमाओं एवं विकास प्राधिकरण/न्यास के आबादी क्षेत्र में ऐसे गैस गोदाम जो ज्वलनशील गैस के निमित्त हो, की स्थापना के लिए नई अनुमति प्रदान नही की जाए और इस संबंध में यदि किसी प्राधिकारी (Authority) द्वारा ऐसे क्षेत्रों में गैस गोदाम स्थापित करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी मांगी जाये तो वह प्रदान नही की जाए।

(2) गैस गोदामों के लिए शहरी आबादी में निर्माण की अनुमति नही देने के साथ–साथ घनी आबादी में जो गैस गोदाम स्थापित हो गये है उन्हें भी जनहित में घनी आबादी से अन्यत्र स्थानान्तरित (Shift) करवाने के संबंध में कार्यवाही की जावे।

(3) शहरी आबादी के मध्य ऐसे गोदामों को स्थापित करने की दृष्टि से निकाय द्वारा राज्य सरकार को अनुशंषा प्रेषित नही की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह सन्धु)
प्रमुख शासन सचिव